न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 019/2025 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 17.09.2025
G.C.M.S. NO. :-2025/223

राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री जगदीश पिता जवाहर जाट निवासी माक्यास थाना बागौर, तहसील बागौर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–श्री शाहरूख पिता अजीज खान निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD **आदेश 2005 के तहत अभिगृहित सामग्री के निस्तारण बाबत**

उपस्थितिः–   1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–सुश्री वंशिका बैरागी, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी की सदर थानाधिकारी निम्बाहेड़ा एवं पुलिस उप अधीक्षक, निम्बाहेड़ा से दिनांक 03.08.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर मैं हितेश जोशी जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ रात्रि 9.50 बजे सदर थाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिसर निम्बाहेड़ा पहुंचा। उक्त परिसर में खड़े टैंकर एवं महिन्द्रा बोलेरो के निरीक्षण हेतु कहे जाने पर पाया गया कि दोनों वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। महिन्द्रा बोलेरो जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 37 GA 4435 जिसके पीछे टैंक बना होकर एक नोजल लगा हुआ है उक्त टैंक में 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया तथा महिन्द्रा ट्रक टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या GJ 39 TA 2707 जिसमें पांच खण्ड है एवं सभी खण्डों में कुल 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर वाहनों के स्वामित्व बाबत कोई उपस्थित नहीं था उक्त कार्यवाही उप अधीक्षक निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने से उनसे पूछने पर अवगत कराया कि दौराने गस्त सूचना मिलने पर दुर्गा ट्रांसपोर्ट सागर होटल के पास पहुंचे जहा एक टैंकर खड़ा हो पास में एक पिकअप जिसमें टैंकर से पिकअप में पेट्रोलियम पदार्थ भरा जा रहा था। टैंकर चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम जगदीश पिता जवाहर मल जाट निवासी बागौर तथा पिकअप ड्राईवर ने अपना नाम शाहरूख पिता अजीज खान निवासी डूंगला होना बताया। दोनों ही चालकों से पूछताछ करने पर उन्होने उनके पास कोई वैध कागजात, परिवहन करने के बारे में कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार प्रकरण में पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 2005 का उल्लंघन होना पाया जाने से अभिगृहित सामग्री को राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता सुश्री वंशिका बैरागी ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य वाहनों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 019/2025 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री जगदीश पिता जवाहर जाट निवासी बागौर जिला भीलवाड़ा वगैरा

अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण का उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। विपक्षीगण का वाहन होटल के बाहर खड़ा था तथा विपक्षीगण मौके पर होटल में खाना खा रहे थे विपक्षीगण के वाहनों को पुलिस ने थाने ले जाकर खड़ा कर दिया तथा यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। मौके पर विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर खरीद फरोक्त करने का किया गया कथन मिथ्या है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार नीमच-चित्तौड़गढ़ हाईवे रोड़ पर स्थित दुर्गा ट्रांसपोर्ट सागर होटल के पास मौके पर वाहन टैंकर संख्या GJ 39 TA 2707 एवं वाहन पिकअप संख्या RJ 37 GA 4435 खडे पाये गये तथा टैंकर संख्या GJ 39 TA 2707 में से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर पिकअप RJ 37 GA 4435 में पीछे बने टैंक में खाली करते पाए गए। मौके पर विपक्षीगण से पूछने पर उनके पास पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण, अवैध तरीके से उसका ट्रांसफर करना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा कुल 3000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 03.08.2025 को जब्तशुदा कुल 3000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 3000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official